यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग** के माह 11/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 02.11.2018 से 15.11.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारि एवं श्री मो0 सलीम खान वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 04.12.2017 से 22.12.2017 तक श्री आई0 के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिला रुद्रप्रयाग के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सालय आते हैं । जनपद के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(रु0 लाख में)

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**बचत/ समर्पण**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	148.56	133.95	178.39	178.22	14.61	0.17
2016-17	150.85	131.69	199.04	198.72	19.16	0.32
2017-18	155.68	147.90	283.10	279.97	7.78	3.13
2018-19 (10/2018)	194.34	122.46	65.86	18.11	0.00	0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु0 लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2016-17	NHM (RCH, Add. & Immunisation)	225.04	534.51	423.05	336.49
2017-18		336.49	378.62	548.70	166.45
2018-19 (09/2018)		166.45	113.01	176.64	102.82

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखंड, पौड़ी

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, विगत लेखापरीक्षा (05/2015 से 10/2017) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर 01: UERR Rule-2015 के प्रावधानों का उल्लंघन कर छः नैदानिक स्थापनों द्वारा चार वर्ष ब्यतीत हो जाने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराये जाने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा कोई भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाना एव परिणामस्वरूप पंजीकरण की न्यूनतम दर से प्राप्त होने वाले रु. 58500/-[1] एवं अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त होने वाले रु. 3.00 लाख[2] अर्थात कुल रु. 3.59 लाख के गैर-कर राजस्व से भी राज्य सरकार का वंचित रहना।

The Uttarakhand Establishment (Registration & Regulation) Rules, 2015 Stipulates that to enforce the provisions of UERR Act 2010, the District Registering Authority (DRA) shall be constituted at each District level. (i) Fees[3] shall be deposited by the Authority in Nationalized Bank and shall be utilized for the activity connected with the implementation of the provisions of the Act. Rule-23(ii): Clinical Establishments operating without registration shall be liable for attracting penalty of Rs. 50,000 in first violation, Rs. 2.00 lakh in second violation and Rs. 5.00 lakh for any subsequent violation in proven cases.

सामान्य वित्तीय नियम-2017 के नियम-46 के अनुसार -"While the tax revenues, non-debt capital receipts including disinvestments and borrowings are managed by the various Departments of the Ministry of Finance, the non-tax revenues are collected through all Ministries/Departments and other autonomous bodies and implementing agencies and comprise an **important source of revenue for the Government**."

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रयाग के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण का कार्य वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ किया जाना था, परंतु इकाई द्वारा इस आशय के क्रियान्वयन हेतु 'जिला नैदानिक स्थापन एवं विनियमन प्राधिकरण' की प्रथम बैठक 06.09.2017 को (चार वर्षों के विलंब से) सम्पन्न हुई। लेखा परीक्षा तिथि (माह 10/2018) तक रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत कुल तीन ब्लॉकों मे चिन्हित 11 नैदानिक स्थापनों मे से मात्र 05 नैदानिक स्थापनों का ही पंजीकरण किया जा सका है। शेष 06 नैदानिक स्थापनों के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ था। लेखा-जांच में पाया गया कि गैर-पंजीकृत नैदानिक स्थापनों का डाटाबेस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं हैं और न ही इस प्रकार के स्थापनों को चिन्हित करने हेतु कार्यालय द्वारा प्रयास किए गए और न ही प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया जो कि कार्यालय द्वारा इस योजना के असफल क्रियान्वयन का परिचायक है। इस प्रकार पिछले तीन वर्षों की अवधि में रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत मात्र 05 नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण किया गया, और शुल्क के रूप में रु. 10500/- प्राप्त हुआ है।

नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण नहीं किए जाने से न सिर्फ हुआ UERR Rules-2015 का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के स्तर पर उल्लंघन हुआ है अपितु फर्जी चिकित्सकों एवं फर्जी नैदानिक

---

[1] 1500x11x3 + 1500x6x1= 58500/-

[2] 50000/- x 6 =3.00 लाख, सीएमओ कार्यालय द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद एक वर्ष का समय ब्यतीत हो जाने के बावजूद नैदानिक स्थापनों का पंजीकरण UERR Rules-2015 के अंतर्गत नहीं कराये जाने की स्थिति मे UERR Rules-2015 23(2) के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम रु. 50000/- की दर से अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

[3] Prescribed in Format-05 of the Rule (copy annexed)

स्थापनों पर अंकुश लगाने का सरकारी प्रयास भी विफल हुआ है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण की न्यूनतम दर से प्राप्त होने वाले रु. 58500/- एवं अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त होने वाले रु. 3.00 लाख अर्थात कुल रु. 3.59 लाख के गैर-कर राजस्व से भी राज्य सरकार को वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टी करते हुए अवगत कराया कि सूचना के अभाव में UERR Rules-2015 के प्रावधान के अनुसार District Registration Authority का गठन नहीं किया जा सका। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में कानून बनने के साथ ही वर्ष 2015 में सभी राज्य के सभी जिलों को एक साथ इसे लागू करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय द्वारा निर्देशित किया गया था। अवज्ञा करने वाले नैदानिक स्थापनों पर अर्थदण्ड लगाए जाने के बारे मे इकाई ने अवगता कराया कि इस संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर एवं कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। गैर-पंजीकृत नैदानिक स्थापनों का डाटाबेस तैयार करने का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

इस प्रकार UERR Rule-2015 के प्रावधानों का उल्लंघन कर छः नैदानिक स्थापनों द्वारा चार वर्ष ब्यतीत हो जाने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराये जाने पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा कोई भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किये जाने एव परिणामस्वरूप पंजीकरण की न्यूनतम दर से प्राप्त होने वाले रु. 58500/- एवं अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त होने वाले रु. 3.00 लाख अर्थात कुल रु. 3.59 लाख के गैर-कर राजस्व से भी राज्य सरकार के वंचित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर 02: विभागीय उदासीनता एवं धनाभाव के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र धनपुर,रानीपुर का निर्माण कार्य मुख्य मंत्री की घोषणा के 10 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहना तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना।

जनपद रुद्रप्रयाग के धनपुर क्षेत्र के रानीपुर मे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र की स्थापना की घोषणा तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा दिनांक 22.02.2009 मे की गयी थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक जिला यो॰/6582 दिनांक अपठित द्वारा परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निगम श्रीनगर को आगणन गठित करने के लिए पत्र प्रेषित किया गया था तथा उक्त कार्य हेतु स्थानीय जनता द्वारा निशुल्क भूमि दान स्वरूप उपलाब्ध करायी गयी थी (जुलाई 2009)। भूमि की उपलबद्धतता एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा निदेशालय के प्रेषित किया गया था (08/2009)प्रशनगत निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा 185.13 लाख का विस्तृत आगणन तैयार किया गया था जिसके सापेक्ष 176.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। जिसके अन्तर्गत एक मुख्य भवन, टाइप IV का एक आवास तथा टाइप II का एक आवास का निर्माण किया जाना था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के निर्माण कार्य से समबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त कार्य हेतु मुख्य मंत्री की घोषणा फरवरी 2009 मे हुई थी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा भूमि की उपलब्धताता सुनिश्चित कर अगस्त 2009 मे ही निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया था परन्तु निर्माण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2016 मे प्राप्त हुई थी जिसका कोई आधार पत्रावली मे उपलब्ध नहीं था, तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु संप्रेक्षा तिथि तक मात्र रुपए 47.29 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी और मुख्य भवन का कार्य फ़िनीशिंग स्तर पर था (08/2018)। जांच मे यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के बृहद निर्माण कार्य से समबन्धित लेखा अभिलेखो का रख-रखाव पूर्णतः अस्त-व्यस्त था, प्रशनगत निर्माण कार्य से समबन्धित पत्रावली मे अधिकांश शासनादेश, स्वीकृति आदेश आदि संलग्न नहीं थे तथा पत्रालेख अतारतम्य मे व अव्यवस्थित थे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं धनाभाव के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र धनपुर, रानीपुर का निर्माण कार्य मुख्य मंत्री की घोषणा के 10 वर्ष बाद बाद भी अपूर्ण था तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टी करते हुए अवगत कराया कि शासन से प्राप्त निर्देश के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन किया गया। वास्तविक रूप से भूमि विलंब से प्राप्त हुई एवं जिला योजना मे उस समय धन का प्रावधान न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि बिना धन की उपलब्धता के भूमि चयन कर निर्माण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाना चाहिए था।

इस प्रकार विभागीय उदासीनता एवं धनाभाव के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र धनपुर, रानीपुर का निर्माण कार्य मुख्य मंत्री की घोषणा के 10 वर्ष बाद भी अपूर्ण रहने तथा अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>-03: धनराशि रु0 25000/- से अधिक मूल्य के 10 निश्प्रोज्य वाहनो को पिछले कई वर्षों की लम्बी अवधि से नीलाम नहीं की जाना ।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्तसामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 94/परी0/2003, दिनांक- 07 मई 2003 के अनुसार निष्प्रोजय वाहनों के सम्बन्ध मे निर्देशित है कि

(i) निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा की वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाय।

(ii) यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। एसा करने कि स्थिति मे नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश जिसमे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रयासों के भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे। तथा **पत्र संख्या 3087/टी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त 1992 के अनुसार**

(i) विभागीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे गाड़ियों के नीष्प्रोजय होने के तुरन्त बाद उसकी नीलामी सुनिश्चित करें और प्रत्येक दशा मे 06 माह के अन्दर उसकी नीलामी अवश्य कर दें।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग के अवधि 11/2017 से 10/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य **वाहन** से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि पिचले कहीं वर्षों की लम्बी अवधि से धनराशि **रु0 25000/-** से अधिक के निम्नलिखित 10 वाहन आफ रोड / निष्प्रयोज्य पड़े हुये थे, जिनकी नीलामी नहीं की गयी थी तथा 09 वाहनों का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित नहीं किया गया था -

क्र0 स0	**वाहन का नाम**	**पंजीकरण संख्या**	**अक्रियाशील वर्ष**	**निर्धारित न्यूनतम मूल्य**
01	क्वेलिस	UA07E1782	2012	**25000.00**
02	महिंद्रा जीप	UA07B0633	2016	-
03	टाटा स्पेसियो	UA07G0716	-	-
04	सचल वाहन	UK13GA0005	-	-
05	टेम्पो वैक्सीन वाहन	UA13-0274	2007	-
06	स्वराज माजदा	UA07-9603	-	-
07	मारुति	UA07AF3239	-	-

08	टैम्पो ट्रेवल्स	UA7D2054	2010	-
09	टैम्पो ट्रेवल्स	UA7D2381	2015	-
10	वैक्सीन वाहन	UK13GA0058	-	-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि लगभग 12 वर्ष की लम्बी अवधि से 10 वाहन आफ रोड/ख़राब/निष्प्रोज्य पड़े हुए थे। जिनकी नियमानुसार निष्प्रोज्य होने के तुरंत 06 माह के अन्दर नीलामी की जानी चाहिये थी तथा यह भी निर्देशित था कि यदि स्थानीय समाचार पत्रों मे व्यापक प्रचार प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी सम्भव न हो ओर यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन कि भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के उपरांत भी अधिक मूल्य प्राप्त होने कि सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन कि वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी मे प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती थी।

आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय के द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी से 09-वाहनो का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं कराया गया था, जबकि वाहन कहीं वर्षों की लम्बी अवधि से अक्रियशील/निष्प्रज्य पड़े हुये थे। इकाई के द्वारा वाहनो की नीलामी हेतु नियमानुसार प्रयास नहीं किए गए थे, परिणाम स्वरूप उक्त वाहनो के वास्तविक मूल्य का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था। जिसके कारण उक्त वाहनो के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी। इसके अतिरिक्त, समय से नीलामी नहीं किए जाने के कारण शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व कि अप्रत्यक्ष हानी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकडों की पुष्टि करते हुये बताया कि संबन्धित वाहनो का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कराकर शीघ्र नीलामी करा ली जाएगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई के द्वारा उक्त नियमानुसार निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी नहीं की गयी थी।

अत: धनराशि रु0 25000/- से अधिक मूल्य के 10 निश्प्रोज्य वाहनो को पिछले कई वर्षों की लम्बी अवधि से नीलाम नहीं कीये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-01: सही भूमि का चयन नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य मे आठ वर्षों का विलम्ब और निहित उद्देश्यों का अप्राप्त रहना

जनपद रुद्रप्रयाग मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अनावासीय एवं आवासीय भवनो के निर्माण की अवश्यकता के दृष्टि गत बेलाखुरूद नामक स्थान पर 1.103 हेक्टेयर भूमि का चयन मार्च 2008 मे किया गया था जिसकी भूगर्भीया आख्या मई 2008 मे की गयी थी जिसमे चयनित भूमि को उपयुक्त पाया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्रांक भा॰नि॰/2009-10/1085 दिनांक 01.08.2009 द्वारा परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर को नवीनतम मानको के अनुसार आगणन गठित करने के लिए निर्देशित किया गया था, कार्यदायी संस्था द्वारा गठित रुपए 353.24 लाख के आगणन को स्वीकृति हेतु निदेशालय को सितंबर 2009 मे प्रेषित किया गया था। जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या 475/XXVIII/92007-2008 दिनांक 06.09.2010 द्वारा प्राप्त हुई थी। (शासनादेश के प्रति अप्राप्त)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के निर्माण से संबन्धित लेखा अभिलेख की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु चयनित भूमि के हस्तांतरण का आदेश फरवरी 2016 को पारित हुआ था,किन कारणो से भूमि का हस्तांतरण भूमि के चयन के लगभग आठ वर्ष भूमि हस्तांतरित हुई थी इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था, तथा शासनादेश संख्या 819/XXVIII-5-2016-111/2011 दिनांक 20.07.2016 द्वारा उक्त कार्य हेतु रुपए 365.26 लाख (सिविल कार्यों के लिए 345.24 लाख तथा अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों के लिए 20.02 लाख) की पुनः वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त रुपए 16.67 लाख की धनराशि निर्गत किया गया था द्वितीय किस्त रुपए 33.33 लाख अक्टूबर 2016 तथा मार्च 2018 मे रुपए 50.00 लाख की धनराशि तृतीय किस्त के रूप निर्गत किया गया था। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से प्रशनगत निर्माण कार्य हेतु कुल रुपए 100.00 लाख की धनराशि निर्गत होना पाया गया परन्तु कार्यदायी संस्था के उपभोग प्रमाण पत्र संख्या 934/लेखा-5/28 दिनांक 20.07.2018 से परिलक्षित हुआ कि उक्त कार्य हेतु रुपए 19.95 लाख की धनराशि पूर्व से ही आवंटित थी और कार्यदायी संस्था द्वारा जुलाई 2018 तक 119.95 लाख की धनराशि का व्यय किया जा चुका था तथा कार्य स्थल पर स्थल विकास कार्य हो चुका है था कार्य प्रगति पर है । जांच मे यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के बृहद निर्माण कार्य से समबन्धित लेखा अभिलेखो का रख-रखाव पूर्णतः अस्त-व्यस्त था, प्रशनगत निर्माण कार्य से समबन्धित पत्रावली मे अधिकांश शासनादेश, स्वीकृति आदेशप्रारम्भिक आगणन, पुनरीक्षित आगणनकी प्रति आदि संलग्न नहीं थे तथा जो कुछ थोड़े बहुत पत्रालेख संलग्न थे वो भी अतारतम्य मे व अव्यवस्थित थे। जांच मे यह भी पाया गया दिसंबर 2017 मे कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि जो भूमि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कार्या गयी है उसको वृक्ष विहीन दर्शाया गया है परन्तु स्थानीय निवासियों द्वारा उक्त कार्य स्थल को वन पंचायत भूमि बताया जा रहा है और वनस्पतियों और वृक्षो के मुआवजे की मांग की जा रही है, इस प्रकरण मे क्या कार्यवाही की गयी इसका पत्रावली मे कोई उल्लेख नहीं था। विभाग द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य मे गंभीरता नहीं बरती गयी तथा उक्त निर्माण कार्य के प्रस्ताव पारित होने एवं भूमि चयन होने के आठ वर्ष बाद भूमि हस्तान्तरित हुई थी तथा उक्त कार्य की प्रथम स्वीकृति वर्ष 2010 मे प्राप्त उसके बाद पुनरीक्षित आगणन अथवा पुनरीक्षित स्वीकृति प्रथम स्वीकृति के छः वर्ष प्राप्त होने का भी औचित्य का भी कोई आधार स्पष्ट नहीं था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के आभाव मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण कार्य प्रथम स्वीकृति के छः वर्ष बाद पुरीक्षित स्वीकृति प्राप्त हुई तथा निर्माण कार्य के वर्तमान स्थिति भी संतोषजंक नहीं थी समय बीतने के साथ टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी अपितु निर्माण कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टी करते हुए अवगत कराया कि वन पंचायत की भूमि होने के कारण भूमि हस्तांतरण वर्ष 2016 में किया गया। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण योग्य भूमि उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी विभाग की थी जिसमे विभाग असफल रहा। समय से सही भूमि का चयन नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य मे विलंब हुआ जिससे निर्माण-लागत बढ़ने की संभवना से इनकार नहीं किया जा सकता और साथ ही निहित उद्देश्यों भी अप्राप्त रहे।

इस प्रकार सही भूमि का चयन नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य मे आठ वर्षों का विलम्ब और निहित उद्देश्यों के अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2: त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी इकाई का कार्य, मूल रूप से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन करना तथा प्राथमिक एवं दवितीय स्तरीय की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है तथा जनपद के अन्तर्गत संचालित अधीनस्थ इकाइयों से यथा आवश्यक सूचनाए/ आकड़ें प्राप्त कर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित करना है, तथा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना एवं उनका अनुश्रवन करना है।

जनपद रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित तीर्थ नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे धार्मिक यात्रियों का आवागमन होता है, केदारनाथ जनपद रुद्रप्रयाग मे ही स्थित है । ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु प्रयाप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि मुख्य चिकित्साधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक क्रमचरियों की अत्याधिक कमी थी,चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो एवं जिला छय रोग नियंत्रण केंद्र के मिलाकर कुल 34 पद स्वीकृत थे उक्त स्वीकृत पदके सापेक्ष मात्र 19 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारी तैनात थेतथा कनिष्ठ सहायक पद पर 03 कर्मचारी तैनाती अधिक अर्थात अधिसंख्यक पद पर कार्यरत थे,और 15 पद रिक्त थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्राप्रयाग कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे,ऊपर दिये हुए 34पदो के सापेक्ष मात्र 19 पदो पर तैनाती हुई थी और 15 पद (44.12 %) रिक्त थे,(पदवार विस्तृत विवरण संलगन)। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टी करते हुए अवगत कराया कि स्टाफ की कमी के सम्बंध में समय-समय पर महानिदेशालय को अवगत कराया जाता रहा है और कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर अपेक्षित है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई उत्पन्न हुई जिसका शीघ्रता से निराकरण किया जाना अपेक्षित था।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
134/2017-18	**00**	1,2 ,3 एवं 4	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	भाग II अ	**भाग II ब**	**STAN**			
134/2017-18	-	1,2,3 एवं 4	01	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालया के द्वारा अप्रस्तुत।

(ii) **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

2- **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01	डाक्टर सरोज नैथानी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	11/2015 से 20.04.2018 तक
02	डाक्टर एस0के0 झा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	21.04.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.